तारीख हक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
13/8/24	पत्रावली पेश हुयी। मूल वाद पत्र पर आज आदेश दिया जाना है। वकील पक्षकारान द्वारा पूर्व में बहस सुनि गई। जिसमें वकील वादी नें वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करतें हुये कथन किया था कि राजस्व ग्रम नरहड़ के भूमि ख0 1800 रकबा 1.53 है0, खसरा नं0 1801 रकबा 1.55 है0, मे वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन वादीगण उक्त भूमि के कृषि कार्य हेतु लोन लेना चाहा तो पटवारी हल्का नें जिस भूमि पर वादीगण काबिज है वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होना बताया गया जिसको तहसीलदार चिड़ावा से दुरूस्त करवाना चाहा तो तहसीलदार ने इनकार कर दिया गया इसलिये दावा श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्रम नरहड़ की भूमि खसरा नं0 1801 रकबा 1.55 है0 में दर्ज प्रतिवादी नं0 1 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे व खसरा नं0 1800 रकबा 1.53 है0 में दर्ज वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 का नाम दर्ज किया जावे। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालिया जवाब पेश कर वादी के हक में वाद डिकी करनें में सहमति जाहिर गई है। पत्रावली, दस्तातेज व इकबालिया जवाब, शपथ पत्र/साक्ष्य आदि का अध्ययन करनें व बहस उभय पक्ष पर मनन करनें से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि है जिस पर पक्षकारान आपस में राजीनामा करना चाहते है। अतः राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेंर) अधिनियम–1955 के नियम 19, आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में पक्षकारान के मध्य समझौता/राजीनामा के आधार पर वाद पत्र वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित है। **आदेश** वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रम नरहड़, पटवार हल्का नरहड़, तहसील चिड़ावा के भूमि खसरा नं0 1801 रकबा 1.55 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जाता है और भूमि खसरा नं0 1800 रकबा 1.53 है0 में से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और तहसीलदार चिड़ावा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)	